



प्रेस नोट

थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशल निर्देशन व पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2021 धारा 363 भदवि से संबंधित कुमारी मान्या तिवारी उम्र करीब 03 वर्ष के सनसनीखेज अपहरण की घटना के संबंध में थाना कोतवाली पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा अपहृता कु0 मान्या तिवारी उम्र 03 वर्ष को जनपद फतेहपुर, पंजाब प्रान्त के जालंधर व अन्य प्रान्तों में तलाश के उपरान्त दिनांक 05.03.2021 को 48 घण्टे के अन्दर ही घटना का सफल अनावरण करते हुये अपहृता कुमारी मान्या तिवारी उम्र 03 वर्ष को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद किया गया तथा घटना में शामिल अपहरणकर्ता नवदीप सिंह उर्फ गिन्नी तथा नीशू द्विवेदी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में चोरी किये गये 29,495 रू0 नगद व एक अदद सोने की चेन व 02 अदद मोबाइल फोन व एक लाल रंग की ट्राली बैग मय कपड़े के बरामद किया गया है। अभियुक्तगणों को मु0अ0सं0 143/2021 धारा 363/380/411 भदवि में न्यायालय/जेल खाना किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।



बरामदगी-

1. अपहृता मान्या तिवारी उम्र 03 वर्ष
2. 29,495रू0 नगद
3. एक अदद सोने की चेन
4. एक अदद ट्राली बैग मय इस्तेमाली कपड़े

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नवदीप सिंह उर्फ गिन्नी पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी मकान नं0 10 अलीपुर थाना डिवीजन 7 सदर जालंधर राज्य पंजाब उम्र 25 वर्ष
2. नीशू द्विवेदी पुत्री अविनाश उर्फ अतुल द्विवेदी निवासी बाम्बेश्वर मंदिर के पास थाना कोतवाली जनपद बाँदा उम्र 20 वर्ष



पुलिस टिम का विवरण

1. प्र0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह
 2. उ0नि0 श्री उमाशंकर सिंह
 3. उ0नि0 श्री संदीप कुमार तिवारी
 4. उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव
 5. का0 गणेश कुमार रावत
 6. म0का0 कविता पौनिया
- थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर